# नीलामी सूचना

पुलिस रेडियो मुख्यालय महानगर लखनऊ में प्राविधिक भण्डार के निष्प्रयोज्य सामानों यथा विभिन्न प्रकार के टूल्स, पावर सप्लाई, बोल्टेज स्टेब्लाईजर, बैटरी चार्जर, एरियल अधिष्ठापन सामग्री, जीआई पाइप्स, मल्टी मीटर्स आदि अन्य निष्प्रयोज्य सामानों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 14.05.2015 को की जायेगी। नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक बिडर्स दिनांक 14.05.2015 को प्रातः 0800 बजे से 1200 बजे तक रूपया 10 हजार का बैक ड्राफ्ट जो पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक, दूरसंचार के पक्ष में देय हो जमा कर टोकन प्राप्त कर सकते है। विस्तृत जानकारी हेतु पुलिस की वेवसाइट www.uppolice.gov.in पर भी देखी जा सकती है। नीलामी के सम्बन्ध मे सूचना पुलिस रेडियो मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गयी है। अन्य जानकारी मोबाईल न0 **9454402626** पर भी प्राप्त की जा सकती है।

**संख्या** : TS/A-81/2015
**दिनांक:** मई,4,2015

14.5.15

(सुनीता शर्मा)
**राज्य रेडियो अधिकरी, प्राविधिक**
**उ0प्र0पुलिस रेडियो मुख्यालय,**
**महानगर–लखनऊ।**

## उक्त नीलामी हेतु नियम और शर्ते निम्नवत प्रस्तावित है–

1) निष्प्रयोज्य सम्पत्तियॉ As and where they lies के अनुसार लाट्स में नीलाम की जायेगी।
2) नीलामी में भाग लेने हेतु 10 हजार रू0 Earnest Money के रूप में पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक, दूरसंचार, उ0प्र0, लखनऊ के पक्ष में देय बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में स्वीकार किया जायेगा।
3) Earnest Money के अतिरिक्त रू0 100/– प्रवेश शुल्क के रूप में (Non refundable) जमा किया जायेगा।
4) केवल Earnest Money जमा करने वाले बिडर ही नीलामी में भाग लेगें।
5) प्रत्येक बिडर को नीलामी में भाग लेने हेतु अपना PAN CARD एवं स्वयं का पहचान पत्र अपने साथ लाना होगा। पहचान पत्र के रूप में वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड व ड्राइविंग लाइसेन्स में से कोई भी एक मान्य होगा।
6) सामानों/लाटों के विक्रय मूल्य पर वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्धारित 4% VAT + 1% अतिरिक्त कर देय होगा।
7) कुल विक्रय मूल्य पर TCS (Tax Collection at source) 1% की दर से देय होगा।
8) प्रत्येक बोलीकर्ता अपनी बोली से बाध्य होगा, भले ही यह ऊँची हो या नही, तथा नीलामी की राशि की माफी पर किसी भी परिस्थिति में विचार नही किया जायेगा।
9) कोई भी व्यक्ति किसी अन्य की ओर से बोली के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक बोली लगाने के लिये उपस्थित व्यक्ति ने उस व्यक्ति से जिसकी ओर से वह बोली लगाना चाहता है, प्राधिकार पत्र प्राप्त न कर लिया हो।
10) संदिग्ध आशयित व्यक्तियों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।
11) नीलामी समिति किसी ऊँची बोली को स्वीकार करने के लिये बाध्य नही होगी।
12) नीलामी समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
13) स्वीकृत उच्चतम बोली का 25% धनराशि बोली की समाप्ति के तुरन्त बाद Security Money के रूप में नकद अथवा बैंक ड्रॉफटं के रूप में जमा करनी होगी। इस हेतु कोई चेक, अथवा हुण्डी स्वीकार नही किये जायेगें। नीलामी समिति बिना कोई कारण बताये Security Money के रूप में 25 % से अधिक या बोली की सम्पूर्ण धनराशि को जमा करने की मॉग कर सकती है।
14) नीलामी स्थल पर धूम्रपान, मदिरा सेवन, निजी वाहन एवं किसी प्रकार का अस्त्र/शस्त्र साथ लाना पूर्णतया वर्जित है। नीलामी में किसी प्रकार का अभद्र अथवा अशोभनीय व्यवहार कदापि बर्दाशत नहीं किया जायेगा तथा ऐसा करते हुये पाये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्व समुचित कार्यवाही की जायेगी।
15) नीलामी समिति द्वारा स्वीकार की गयी बोली Confirmation हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही बोली अन्तिम रूप से स्वीकृत मानी जायेगी।
16) जिस बोलीकर्ता की उच्चतम बोली समिति द्वारा स्वीकार की जायेगी, उसमें बोलीकर्ता द्वारा जमा की जाने वाली Earnest Money, 25 % Security Money में समायोजित की जा सकेगी।
17) बोलीकर्ता नीलामशुदा वस्तुओं को सम्पूर्ण भुगतान हो जाने के पश्चात तथा गेट पास/प्राधिकार पत्र प्राप्त कर ही नामित राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में उठा सकेगा।